अति–आवश्यक

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1037/226 दिनांक : 13/6/14

–: स्मरण पत्र :–

मण्ड़ल की समस्त योजनाओं हेतु वर्ष 2014–15 की भूमि एवं विकास दर निर्धारित कर, जुलाई 2014 से जून 2015 तक प्रभावी रखने के उद्देश्य से, सम्बन्धितों को परिपत्र क्रमांक एफ2(3)लागत/1037/153 दिनांक 16.5.2014 के द्वारा निर्देशित कर दिनांक 30.5.2014 तक समस्त आवासीय अभियन्ताओं द्वारा दर निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित दस्तावेजों को उचित माध्यम से लागत प्रकोष्ठ में भिजवाया जाना था परन्तु वांछित सूचना आज दिनांक तक लागत प्रकोष्ठ में प्राप्त नही होने की वजह से भूमि एवं विकास दर वर्ष 2014–15 के निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही संभव नही हो पा रही हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र के अनुसार वांछित समस्त सूचनायें दिनांक 20.6.2014 तक लागत प्रकोष्ठ में प्रेषित करें ताकि वर्ष 2014–15 की भूमि एवं विकास दर का निर्धारण किया जाना संभव हो सके। यदि सम्भावित व्ययों /वास्तविक व्ययों के आधार पर भूमि एवं विकास दर का पुनः निर्धारण नही कराना है तो भी सूचित करावें।

निर्धारित समय में सूचना प्रेषित नही करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्व अनुशात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

Sd
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
2– मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
3– अति॰मु॰ अभियन्ता, ..., रा॰आ॰म॰, जयपुर।
4– उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ...., रा॰आ॰म॰, ...।
5– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
6– आवासीय अभियन्ता, खण्ड़– ...., रा॰आ॰म॰, ...।
7– सहायक लेखाधिकारी वृत्त– ...., रा॰आ॰म॰, ...।
8– सम्बन्धित पत्रावली।
9– रक्षित फाईल।

वित्तीय सलाहकार

Office Order Hindi/Hanuman Sahay/Costing